न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :—65/2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बाबुलाल पुत्र पेमाराम जाति सिरवी निवासी खोखरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान		1. श्यामलाल पुत्र पेमाराम 2. सोहनलाल पुत्र पेमाराम जातियान सीरवी निवासीगण खोखरा तहसील सोजत पाली 3. तहसीलदार भूमि धारक सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री गोविन्द दवे एवं कैलाश दवे वादीगण उपस्थित।
2. प्रतिवादी तहसीलदार सोजत उप0

—: निर्णय :— दिनांक — 22/05/2024

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा खोखरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1190, 1833, 1902, 1905,1907 कुल किता05 कुल रकबा 12.3200 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। दिनांक 05.10.2021 को न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर वादस्थ भूमि का विभाजन प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/राजस्व /2024 /1472 दिनांक 02.05.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादीगण, तहसीलदार, सोजत को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 13.05.2024 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः माफिक विभाजन प्रस्तावं मय नजरी नक्शा दिनांक 13.05.2024 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा खोखरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1190, 1833, 1902, 1905,1907 कुल किता05 कुल रकबा 12.3200 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय की कृषि भूमि का बंटवाड़ा/विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर,

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
01	बाबूलाल पुत्र पेमाराम कौम सिरवी सा0 देह खातेदार	1925 / 1 1924 1924 / 4 1942 1883 1907 / 1 1902 / 1 1905 / 2 1190 / 1	0.6666 0.3600 0.3050 0.6600 0.9400 0.3400 1.5733 0.6100 0.5966	जा0अ0 बंजड	0.07 0.61
		09	6.0515		
02	सोहनलाल पुत्र पेमाराम कौम सिरवी सा0देह खातेदार	1925 / 2 1924 / 2 1924 / 5 1942 / 1 1942 / 2 1883 / 1 1907 / 2 1902 / 3 1905 / 1 1190	0.6666 0.3600 0.3050 0.3300 0.3300 0.9400 0.3400 1.5700 0.6100 0.5966	जा.अ. बंजड जा0सो0 चासो बा.अ.	
		05	6.0515		
03	श्यामलाल पुत्र पेमाराम कौम सिरवी सा0 देह खातेदार रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सोजत सिटी	1925 1924 / 1 1924 / 3 1942 / 4 1883 / 2 1907 1902 1905 1190 / 2	0.6668 0.3600 0.3050 0.6600 0.9400 0.3400 1.5734 0.6100 0.5968	जा0अ0 बंजड चा0प्र0 जा0सो0 बा0अ0	
		09	6.0520		
		1924 / 4	0.0150 (बेरा)		
04	सयुक्त खातेदारी भूमि	1924 / 6 1925 / 3 1942 / 3 1883 / 3	0.0200 (रास्ता) 0.0400 (रास्ता) 0.0700 (रास्ता) 0.1400 (रास्ता)	चा0प्र0 जा0प्र0 बंजड	

उप खण्ड अधिकारी • सोजत जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

उक्तानुसार प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 22/05/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद 65/2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बाबुलाल पुत्र पेमाराम जाति सिरवी निवासी खोखरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान		1. श्यामलाल पुत्र पेमाराम 2. सोहनलाल पुत्र पेमाराम जातियान सीरवी निवासीगण खोखरा तहसील सोजत पाली 3. तहसीलदार भूमि धारक सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :–

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री गोविन्द दवे एवं श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा खोखरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1190, 1833, 1902, 1905,1907 कुल किता05 कुल रकबा 12.3200 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय की कृषि भूमि का बंटवाड़ा/विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूम से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
01	बाबुलाल पुत्र पेमाराम कौम सिरवी सा0 देह खातेदार	1925/1 1924 1924/4 1942 1883 1907/1 1902/1 1905/2 1190/1	0.6666 0.3600 0.3050 0.6600 0.9400 0.3400 1.5733 0.6100 0.5966	जा0अ0 बंजड	0.07 0.61
		09	6.0515		
02	सोहनलाल पुत्र पेमाराम कौम सिरवी सा0देह खातेदार	1925/2 1924/2 1924/5 1942/1 1942/2 1883/1 1907/2 1902/3 1905/1 1190	0.6666 0.3600 0.3050 0.3300 0.3300 0.9400 0.3400 1.5700 0.6100 0.5966	जा.अ. बंजड जा0सो0 चासो बा.अ.	
		05	6.0515		
03	श्यामलाल पुत्र पेमाराम कौम सिरवी सा0 देह	1925	0.6668	जा0अ0	

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

	[illegible] नेशनल बैंक शाखा सोजत सिटी	1924/1 1924/3 1942/4 1883/2 1907 1902 1905 1190/2	0.3600 0.3050 0.6600 0.8400 0.3400 1.8734 0.6100 0.8968	बंजड़ [illegible] [illegible] [illegible]	
		09	6.0500		
२८	संयुक्त खातेदारी भूमि	1924/4 1924/6 1925/3 1942/3 1883/3	0.0180 (बेरा) 0.0200 (रास्ता) 0.0400 (रास्ता) 0.0700 (रास्ता) 0.1400 (रास्ता)	चा0मु0 जा0मु0 बंजड़	

उक्तानुसार प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से जरिये [illegible] रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं [illegible] पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव [illegible] नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना [illegible] जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत —

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक [illegible] को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

मददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

	खातेदार रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सोजत सिटी	1924/1 1924/3 1942/4 1883/2 1907 1902 1905 1190/2	0.3600 0.3050 0.6600 0.9400 0.3400 1.5734 0.6100 0.5968	बंजड चा0प्र0 जा0सो0 बा0अ0	
		09	6.0520		
04	सयुक्त खातेदारी भूमि	1924/4 1924/6 1925/3 1942/3 1883/3	0.0150 (बेरा) 0.0200 (रास्ता) 0.0400 (रास्ता) 0.0700 (रास्ता) 0.1400 (रास्ता)	चा0प्र0 जा0प्र0 बंजड	

उक्तानुसार प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से जरिये [illegible]र निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं [illegible]मीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव [illegible] नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22/05/24 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)